

(ई-मेल द्वारा भी)

कार्यालय

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, खतौली

पत्रांक-603 /स0क्ष0प्र0/खतौली/ संचालन /2020

दिनांक 06.02.2020

- : निविदा सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम खतौली डिपो बस स्टेशन परिसर में खड़े यूकिलिप्टस, नीम एवं सिम्मल, शीशम, कंजी प्रजाति के कुल 23 वृक्षों की नीलामी के लिए निविदाएं दिनांक 06.02.20 तक आमंत्रित की गई थी किन्तु कोई निविदा उक्त समय में प्राप्त नहीं हुई समिति द्वारा पुनः दिनांक 13.06.20 तक निविदा आमंत्रण करने का निर्णय लिया गया है। निविदा के लिये नियम व शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा दिनांक 13.02.2020 को समय 12.00 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 13.02.2020 को समय दोपहर 12.30 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जायेंगी।
2. निविदा फार्म खतौली डिपो कैशियर से रू0 118.00 (100+18 जी0एस0टी) जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. निविदा के साथ धरोहर धनराशि रू0 10000/- का बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परिवहन निगम सहारनपुर के नाम देय हो, कार्यालय में जमा कराना होगा जो रिफण्डेबल/समायोज्य होगा।
4. निविदा दाता को अपना नाम, पिता का नाम वैध परिचय पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र, पैनकार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।
5. प्राप्त निविदाओं के आधार पर जिस पक्ष की निविदा उच्चतम होगी उसे निविदा में दी गयी सम्पूर्ण धनराशि उसी दिनांक को सायं 17.00 बजे तक निगम कोष में जमा करनी होगी।
6. निविदा दाता को अपने खर्च पर पेड़ जमीन के लेवल तक काटकर यार्ड को यथावत स्थिति में कराना होगा।
7. पक्षकार पेड़ काटते समय निगम कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तथा निगम की सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेंगे।
8. निविदाकर्ता किसी भी कार्य दिवस में बस स्टेशन परिसर खतौली में खड़े चिन्हित यूकिलिप्टस, नीम एवं सिम्मल, शीशम, कंजी प्रजाति के कुल 23 वृक्षों का निरीक्षण कर सकते हैं।
9. उक्त वृक्षों की कटाई का कार्य 10 दिन में सम्पादित करना होगा। समयावधि में कार्य पूरा न होने की स्थिति में रू 1000/- प्रतिदिन के अनुसार पैनल्टी निगम कोष में जमा करना होगी।
10. यदि निविदा दाता द्वारा धनराशि समयान्तर्गत जमा नहीं की जाती है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेंगी।
11. निविदा सूचना उ0प्र0 परिवहन निगम की वेबसाइट WWW.UPSRTC.COM पर देखी जा सकती है।



12. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित रहेंगा।
13. नियमानुसार जी0एस0टी0 निविदा दाता द्वारा देय होगी।
14. निविदा दाता को उक्त वृक्षों के कटान से उत्पादित प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अभिवहन पास नियमानुसार प्राप्त करना होगा।

(परवेज बशीर)
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
खतौली।

- प्रतिलिपि:—1. क्षेत्रीय प्रबन्धक महोदय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. सहायक प्रबन्धक(एम0आई0एस0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा सूचना को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
 3. वाणिज्य कर अधिकारी जानसठ(मु0नगर) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 4. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/सेवा प्रबन्धक कार्यालय/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय— मु0नगर/खतौली /छुटमलपुर/सहारनपुर /शामली /गंगोह/ जलालाबाद /शामली।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
खतौली।